फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : **जिला कलक्टर** मुकाम : **बांसवाड़ा**

थानाधिकारी, पुलिस थाना सल्लोपाट, जिला बांसवाडा	**बनाम**	1. गणेश पिता धुलजी निवासी बरोडी, पंचायत मोटी बस्सी, थाना अरथुना चालक पीकअप रजि.नं RJ 27 GD 3709 2. विमल पिता कचरा निवासी गलियाकोट थाना चीतरी जिला डूंगरपुर

धारा, 5,6,8 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

मु. नं. : 14 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29–05–2024	थानाधिकारी, पुलिस थाना सल्लोपाट ने रिपोर्ट की है कि श्री आशिप पंचाल पिता सुखलाल पंचाल निवासी गांगडतलाई की लिखित रिर्पोट पर दिनांक 23.05.2024 को सुबह 9.00 बजे आनंदपुरी रोड से आ रही एक पीकअप को रुकवाना चाहा मगर चालक द्वारा नही रोका गया उसके उपरांत बाजार में चौराहे पर जाकर जबरन रोका तो पाया कि पीकअप में चार बैल भरे हुए थे जिसमे एक मरने की कगार पर नीचे पडा पाया गया। पिकअप वाहन चालक का नाम पता पुछने पर पिकअप वाहन नंबर RJ 27 GD 3709 के चालक ने अपना नाम गणेश पिता धुलजी निवासी बरोडी, पंचायत मोटी बस्सी, थाना अरथुना व उसके साथ में बैठा व्यक्ति जिसका नाम विमल पिता कचरा निवासी गलियाकोट थाना चीतरी जिला डूंगरपुर का होना बताया। परिवहन सम्बन्धित कागजात के बारे में पुछने पर किसी प्रकार के परिवहन सम्बन्धित कागजात नही होना बताया गया। उक्त बैल गुजरात राज्य में कटनी हेतु भेजना संभावित पाया। पीकअप गाडी में बैलो को ठूस ठूस कर बिना कागजात के भरना पाया गया व बैलो पर चोट के निशान है। वगैरा रिपोर्ट पर थानाधिकारी सल्लोपाट ने प्रकरण संख्या 91/2024 धारा 5,6,8 व 9 राजस्थान गौवंश अधि. 1995 में दर्ज किया। गिरफ्तार शुदा गणेश ताबियार व विमल पारगी से तफ्तीश जारी है। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्त 4 गौवंश (बैल) को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 4 गौवंश (बैल) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, दयोदय पशु संवर्धन संस्था (गौ–शाला) बागीदौरा जिला बांसवाडा को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 4 गौवंश (बैल) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, दयोदय पशु संवर्धन संस्था (गौ–शाला) बागीदौरा जिला बांसवाडा की होगी। जब्तशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, दयोदय पशु संवर्धन संस्था (गौ–शाला) बागीदौरा जिला बांसवाडा बाध्य होगा। तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. इंद्रजीत यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)	